न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/6964/2002/भरतपुर

1– दामो उर्फ दामोदर पुत्र रामसिंह जाति लोधा
2– मानकचन्द पुर परभाती जाति लोधा
3– शिवसिंह पुत्र दीपू जाति लोधा
सभी निवासीगण ग्राम बदनगढ़ तहसील डीग जिला भरतपुर।

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

1– तेजपाल पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाटव
2– लोकमन पुत्र अमरसिंह जाति लोधा
3– छीतरिया पुत्र मंगल जाति लोधा
4– हेतराम पुत्र अमरसिंह जाति लोधा
सभी निवासीगण ग्रम बदनगढ़ तहसील डीग जिला भरतपुर।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीग जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–

श्री जे.के.पारिक, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री ओ.एल.दवे, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या –1
श्री नरसिंह रावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या –2

–निर्णय–

दिनांकः– 29–07–2025

अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा अपील संख्या – 455/2001 बउनवान तेजपाल बनाम राज्य सरकार आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बदनगढ़ तहसील डीग के खेत खसरा नम्बर 491 तादादी 0.53 हेक्टर भूमि के खातेदारी अधिकारों एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर स्थाई निषेधाज्ञा की मांग इस आधार पर की गई थी कि उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी को आवंटित भूमि रही है, जिस पर उसका आवंटन की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादी को पट्टेदार काश्तकार साल 22 गलत रूप से अंकित किया जा रहा है। उक्त वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र/जवाबदावे के आधार पर तनकीयात् करने के उपरान्त प्रत्येक तनकी का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त वादपत्र को विधिसम्मत् तरीके से खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों/परिस्थितियों एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपील को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– हमने योग्य अधिवक्तागणों की बहस सुनी।

4– अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बदनगढ़ तहसील डीग के खेत खसरा नम्बर 491 तादादी 0.53 हेक्टर भूमि के बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के खातेदारी

अधिकारों की मांग इस आधार पर की गई थी कि वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि रही है तथा उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात् से निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। इसी के साथ यह भी अभिकथन किया गया कि आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को पट्टेदार काश्तकार साल 22 अंकित कर दिया गया है। उक्त आशय का वादपत्र पेश किये जाने पर अपीलार्थीगण द्वारा जवाबदावा पेश करते हुए वादपत्र में अंकित तथ्यों को इंकार करते हुए वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने एवं वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में विधि विरूद्ध तरीके से पट्टेदार अंकित किये जाने का अभिकथन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र/जवादावा एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करने के उपरान्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादपत्र में अभिलिखित कथनों के समर्थन में आवंटन आदेश अथवा पट्टे की प्रति पेश नहीं किये जाने पर वादग्रस्त भूमि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, इस संबंध में विधिक स्थिति भी यही है कि बिना पजेशन के धारा 88 आरटीएक्ट के तहत वादपत्र नहीं लाया जा सकता। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि पर जहाँ तक अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त का प्रश्न है, इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 को निर्णित करते हुए वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड के अंकन के आधार पर अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त को स्वीकार किया गया है।

5– इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्थी संख्या – 1 के राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार अंकन को आधार बनाते हुए एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बतौर शिकमी मानते हुए अपील को दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में एवं मौके पर कब्जे काश्त के विपरीत जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह भी अभिलिखित किया गया है कि नियम 1970 के तहत 10 साल बाद स्वतः ही गैर खातेदारी प्राप्त होने का प्रावधान है तथा नियम 18 में कहा गया है कि 10 साल बाद एसडीओ को स्वतः ही खातेदारी अधिकार दे देने चाहिए। अपीलीय

न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या मात्र कयासों पर आधारित है क्योंकि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष आराजी जैर के आवंटन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जब उक्त भूमि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित ही नहीं होना स्पष्ट है तो आवंटन नियमों के तहत स्वतः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा सभी तनकीयात् का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण अंकित करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जबकि इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की व्याख्या के विपरीत जाकर अपील को स्वीकार किया गया है, परन्तु उक्त अपील को स्वीकार करते हुए किसी भी तनकीयात् पर कोई विवेचन एवं विश्लेषण अंकित नहीं किया गया हैं जबकि इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 मे प्रावधित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवाश्यक है। उपरोक्त विधिक स्थिति का अभाव भी अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व डिक्री में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में विधिसम्मत् होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः-

1. 1993 आरआरडी पेज 246
2. 1992 आरआरडी पेज 114
3. 1989 आरआरडी पेज 774
4. 2011 पार्ट II आरआरटी पेज 1035
5. 2014 आरआरडी पेज 5

6- विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र इस आधार पर पेश किया गया था कि आराजी जैर प्रत्यर्थी संख्या-1/वादी को बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित भूमि रही है, जिसपर आवंटन की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की दिनांक को वादी खातेदारी अधिकारों का मुश्तहक हो चुका है। इसीप्रकार वादपत्र में यह भी अभिकथन किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को बतौर पट्टेदार गलत अंकन कर दिया गया है। इसी अनुरूप वादग्रस्त भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकारों की मांग के साथ–साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा की भी मांग की गई। उपरोक्त आशय का वादपत्र पेश करते हुए अपने कथनों के समर्थन में राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2050–2053, 2030–2033, 2023–2026, 2019–2022 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये गये थे, जिसके अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट था कि वादग्रस्त भूमि पर वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त अंकन बतौर पट्टेदार किया गया है। उक्त अंकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि रही है। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र/जवाबदावा आदि के आधार पर तनकीयात् तो कायम की गई, परन्तु कायम की गई तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के वादपत्र को खारिज कर दिया गया। जबकि यह स्थिति स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटित भूमि रही है तथा आवंटन दिनांक से ही निरन्तर कब्जाकाश्त भी वादी का ही रहा है।

7– विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा संख्या 7 में पत्रावली पर उपलब्ध तमाम राजस्व रिकार्ड का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बतौर पट्टेदार अंकित किये जाने एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर शिकमी दर्ज होने तथा आराजी जैर एससी के सदस्य को आवंटित होने एवं उस पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को शिकमी अंकित किये जाने का अभिकथन करते हुए व विधिक प्रावधानों के अनुसरण में आवंटन पश्चात् स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी की अपील को स्वीकार करते हुए आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील खारिज की जाकर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को यथावत बहाल रखा जावे।

8– विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर ससम्मान् मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

9– हस्तगत् प्रकरण में प्रत्यथी संख्या–1/वादी द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा वादी के वादपत्र को खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादपत्र के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन आदेश अथवा पट्टे की प्रति पेश नहीं की गई है। इस प्रकार आराजी जैर जरिये आवंटन/पट्टे पर नहीं दिये जाने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर वादपत्र को खारिज किया गया है। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बतौर पट्टेदार अंकित होने एवं आराजी जैर के आवंटन के आधार पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का अभिकथन करते हुए अपील को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री असमंवर्ती होने से राजस्व मण्डल जोकि राजस्व मामलों की उच्चतर न्यायालय (Apex Court) है, के स्तर पर प्रकरण में यह अभिनिर्धारण/विनिश्चयन किया जाना आवश्यक हो जाता है कि क्या दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधि के प्रावधित सिद्धान्तों के अनुरूप निर्णय व डिक्री पाारित किये गये है अथवा नहीं ?

उक्त तथ्य के निर्धारण हेतु अवधार्य प्रश्न के रूप में यह देखा जाना अपरिहार्य है कि क्या वादग्रस्त भूमि वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 को विधिवत रूप से आवंटित भूमि थी अथवा नहीं ? वादी/प्रत्यर्थी संख्या –1 को आराजी जैर का पट्टेधारी राजस्व रिकार्ड में विधि संगत रूप से दर्ज किया गया है अथवा नहीं ? इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 का निरन्तर काश्त रहा है अथवा नहीं ?

10– उपर्युक्त तथ्यों के निर्धारण हेतु हमने प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी द्वारा अपने वादपत्र के मद संख्या 2 में वादग्रस्त भूमि ग्राम बदनगढ़ तहसील डीग के खेत खसरा नम्बर 491 तादादी 0.53 हेक्टर का अभिलेखन करते हुए मद संख्या 3 में ‘‘उपरोक्त आराजी संवत् 2025 के करीब वादी को अनुसुचित जाति का भूमिहीन होने के आधार पर सरकार द्वारा एलोट फरमाया गया था।’’ जिस पर निरन्तर कब्जा

काश्त होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है तथा मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार वादी का ही कब्जा है, के आधार पर खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक होने की मांग की गई है।

इसी प्रकार वादपत्र के मद संख्या 4 में राजस्व रिकार्ड मे गलत तरीके से वादी को पट्टेदार साल 22 अंकित किया गया है जो वातिल व बेअसर है और नाकाबिले पाबंदी है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी के वादपत्र का मुख्य आधार आराजी जैर बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों प्राप्त होने का रहा है तथा साथ ही राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार अंकन को विलोपित करने की मांग की गई है।

11– विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र/जवादावा एवं राज्य पक्ष की और से नायब तहसीलदार पैरोकार राज द्वारा प्रस्तत जवाब तथा अभिवचनों के आधार पर दादरसी सहित छः तनकीयात् कायम की गई। जिसमें तनकी संख्या 1 कायम की गई किः– आया वादी अपने आपको खातेदार काश्तकार आराजी मुतनाजा पर घोषित करा पाने का अधिकारी है? उपरोक्त तनकीयात् को साबित करने का भार वादी पर था। वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा वादपत्र के उपरोक्त अभिकथनों के समर्थन में आराजी जैर के बतौर भूमिहीन आवंटन होने के संबंध में सरकार द्वारा जारी आवंटन आदेश पेश नहीं किये जाने एवं नाही आराजी जैर पट्टे पर दिये जाने के संबंध में कोई पट्टा ही न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये जाने पर वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में नहीं होने एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त का संबंध में वादी/प्रतिवादी की और से प्रस्तुत गवाहान् द्वारा दोनों पक्षों का कब्जा काश्त होने का विरोधाभसी कथन किये जाने पर वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं पाये जाने पर उपरोक्त तनकी खिलाफ वादी तय की गई।

12– इसी प्रकार तनकी संख्या 2 व 3 जिसके माध्यम से चिर स्थायी निषेधाज्ञा एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त का निर्धारण किया जाना था, उपरोक्त तनकीयात् के इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने एवं आराजी जैर पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त होना राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2019–2022,

2023–2026, 2030–2033 के अनुसरण में साबित होने के आधार पर उपरोक्त तनकीयात् भी खिलाफ वादी तय की गई है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकीयात् का विवेचन एवं विश्लेषण दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में करते हुए वादपत्र को खारिज किया गया है।

13– प्रकरण में जहाँ तक अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का प्रश्न है, इस संबंध में हमने अपीलीय न्यायालय के निर्णय के मद संख्या 7 का अवलोकन किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 की अपील को स्वीकार करने का आधार जमाबन्दी संवत् 2050–53 में खसरा नम्बर 491 रकबा 0.53 हेक्टर पर तेजपाल पिसरान रामस्वरूप जाति चमान साकिन देह पट्टेदार साल 22 दर्ज है इसी प्रकार अन्य राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी सवंत् 2030–2033 में पट्टेदार साल 13 व जमाबन्दी संवत् 2023–2026 में पट्टेदार साल 9 दर्ज होने का लेते हुए पट्टेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करने का लिया गया है। इस संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 स्वयं के द्वारा राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार के अंकन को विलोपित करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित करने की मांग आराजी जैर के बतौर भूमिहीन आवंटन के आधार पर की गई थी। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है कि क्या वादग्रस्त भूमि वादी को बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित थी अथवा नहीं? तथा उपरोक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किये गये है अथवा नहीं? यहाँ अभिलिखित किया जाना भी समीचीन होगा कि वादी स्वयं को अपने वादपत्र को दस्तावजी/मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित करना होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा अपने वादपत्र को साबित करने हेतु कोई पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र कयासों के आधार पर यह मानते हुए ही आराजी जैर वादी को आवंटित हुई है, तथा आवंटन नियम 1970 के तहत 10 साल बाद स्वतः ही गैर खातेदारी प्राप्त होने एवं नियम 18 के तहत 10 साल बाद एसडीओ को स्वतः ही खातेदारी अधिकार दे देने चाहिए, वादी के वादपत्र को स्वीकार किया गया है। जबकि प्रकरण में आराजी जैर के वादी को बतौर भूमिहीन श्रेणी में राज्य पक्ष द्वारा आवंटित होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, नाही वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी को बतौर पट्टे पर दिये जाने का कोई साक्ष्य/प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद एवं सुस्पष्ट है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 आराजी जैर के विधिवत आवंटित होने के प्रश्न को

एवं आराजी जैर का पट्टेधारी राजस्व रिकार्ड में विधि संगत रूप से दर्ज होने के कथन को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाये है। लिहाजा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्रकरण के तथ्यों एवं वादी स्वयं के अभिवचनों (Pleadings) के विपरीत होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

14– परिणामतः अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा अपील संख्या–455/2001 बउनवान तेजपाल बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2002 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष